

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६

74

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक-०७/०७/२०२६

विषय: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के संधारणार्थ संविदा सेवाएं ईकाई में कुल ₹४.०० लाख (चार लाख रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या-०१ दिनांक ०२.०४.२०२६ विभागीय आवंटनादेश संख्या-७१ दिनांक २२.०६.२०२६ के द्वारा आवंटन दिया गया था। संबंधित प्रशाखा के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए संविदा सेवाएं ईकाई में कुल ₹४.०० लाख (चार लाख रु०) मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

२. आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में मांग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष-मुख्य शीर्ष-२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१ निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक ईकाईयों-०००१.२८०२-संविदा सेवाएं, मांग संख्या-४४, विपत्र कोड संख्या ४४-२२२५०१००१०००१ के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

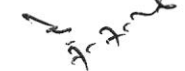
३- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

४- वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७/०४/९८ एवं ३१४/वि० दिनांक ०१.०४.२०२६ तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

६- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाय।

विश्वासभाजन,



निदेशक।

ज्ञापाक- ८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६ 74 पटना, दिनांक-०७/०७/२०२६

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०)/सचिव कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय)/प्रशाखा पदाधिकारी, ०२डी०/प्रशाखा पदाधिकारी, ७जी०(लेखा शाखा), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/वित्त विभाग, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजरअनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापाक- ८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६ 74 पटना, दिनांक-०७/०७/२०२६

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।